मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी–अप्रैल, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 10 अप्रैल, 2002 (चैत्र 20, 1924)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं –

(क) क्रमांक एफ–22–46–2001–आठ, दिनांक 4 मई, 2001 ; तथा
(ख) क्रमांक एफ–22–39–2000–आठ, दिनांक 18 सितम्बर, 2001,
पटल पर रखेंगे.

(2) श्री महेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम के वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1998–99 तथा 1999–2000 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री इन्द्रजीत कुमार, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2000–2001 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम रघुनाथपुर के जंगल में वन कर्मियों को लूटकर एक व्यक्ति का अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राकेश, लाल सिंह, मुंशीलाल, सदस्य, भिण्ड जिले के मेहगांव नगर में पुलिस द्वारा राजनैतिक कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री राजनारायण सिंह, सभापति, याचिका समिति का छब्बीसवां, सत्ताईसवां, अट्ठाईसवां, उनतीसवां एवं तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री स्वामी प्रसाद, सदस्य, सागर जिले के बीला बांध की ऊंचाई बढ़ाने एवं धसान नदी का डायवर्सन कराये जाने,

(2) श्री रसाल सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के बिरखड़ी–नौधा मार्ग पर रपटा/पुलिया बनाये जाने,

(3) श्री श्याम होलानी, सदस्य, देवास जिले के सिंगलादेह की खारी नदी के समीप विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाने,

(4) श्री हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, कटनी नगर में जबलपुर विश्वविद्यालय की शाखा खोले जाने,

(5) श्री मगनलाल गोइल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के तरीचरकलां नगर में पुलिस चौकी खोले जाने, तथा

(6) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल शहर के अन्तर्गत भोपाल–इंदौर बायपास रोड पर स्ट्रीट लाईट लगाने एवं स्पीड ब्रेकर बनाये जाने,
के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 30 मि. (1) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 5 सन् 2002) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2002 (क्रमांक 7 सन् 2002) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घन्टे (4) श्री राजा पटैरिया, राज्यमंत्री धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मां शारदा देवी मंदिर विधेयक, 2002 (क्रमांक 8 सन् 2002) पर विचार किया जाय.
उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 9 अप्रैल, 2002

डॉ.ए.के.पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.